(19)

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांकIII/निग./अशोकनगर/भू.रा./2018/2281

श्री लखन सिंह धाकड़ ए. द्वारा आज दि. 07/04/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13/04/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सौभाग्य सिंह यादव, निवासी– ग्राम नगेश्री, तहसील व जिला अशोकनगर

.................आवेदक

बनाम

1. राजाभैया पुत्र दलेल सिंह यादव, निवासी– ग्राम नगेश्री, तहसील व जिला अशोकनगर
2. भैयालाल पुत्र अमान सिंह यादव, निवासी– ग्राम नगेश्री, तहसील व जिला अशोकनगर ....

अनावेदकगण

07/04/18 (Laxman singh Dhakad Adv.)

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय जिला अशोकनगर के प्रकरण क्र. 45अ–27/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, अनावेदक क्र. 1 राजा भैया पुत्र दलेल सिंह यादव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतगत धारा 178 म.प्र. भू. राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया है।
2. यहकि, उक्त आवेदन पत्र पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रचलित की जा रही है। उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर यह आपत्ति प्रस्तुत की गई। कि विवादित भूमि आवेदक के पिता से अनावेदक के पिता द्वारा क्रय की गई थी। इस कारण आवेदक को उक्त भूमि के बटवारे कराने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा विवादित भूमि में आवेदक का हिस्सा 1/3 तथा अनावेदकगण का हिस्सा 1/3, 1/3 है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2018/2281

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला अशोकनगर**	